प्रेस विज्ञप्ति

25.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, अरविंद धाम, अनुभव धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य के विरूद्ध 15 से अधिक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान से संबंधित 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.06.2024 को दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मुंबई और नागपुर में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों के आधार पर सीबीआई द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से बैंक ऋणों को फेरने और बैंकों को 673.35 करोड़ रु. गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27.02.2024 को मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर फैसला करते हुए ईडी को व्यापक तंत्र से लैस होकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जिससे पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन अपराधों का पता चल सके।

ईडी की जांच में पता चला कि एमटेक समूह ने 15 से अधिक बैंकों का 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज नहीं चुकाया है। समूह की कंपनियों अर्थात् मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स मेटालिक फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ दिवालियेपन में ले जाया गया, जिसके समाधान के कारण बैंकों के लिए 80% से अधिक की भारी कटौती हुई, जिससे वित्तीय प्रणाली को काफी नुकसान हुआ।

आगे की जांच में उच्च मूल्य वाली रियल एस्टेट और लक्जरी संपत्तियों को रखने और निवेश करने के लिए समूह द्वारा तैनात 500 से अधिक शेल कंपनियों के एक जटिल जाल का पता चला। कई नियामक तंत्रों में विफल रहने पर किसी भी कंपनी को संबंधित पक्ष घोषित नहीं किया गया। जांच से यह भी पता चला है कि एमटेक ऑटो समूह ने न केवल ऋणों में धोखाधड़ी की, बल्कि शेयर बाजारों के साथ दायर वित्तीय विवरणों को भी छिपाया, लेखा परीक्षकों और वित्त पेशेवरों की मिलीभगत से अपने खातों की किताबों में फर्जी संपत्ति बनाई। समाधान के समय, यह पता चला है कि समूह की कंपनियों के कुल फर्जी संयंत्र और मशीनरी उनकी संबंधित बैलेंस शीट में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक थी।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 1000 करोड़ रुपये से अधिक की उच्च मूल्य वाली रियल एस्टेट संपत्ति वाली कई बेनामी कंपनियों की पहचान हुई। अपराध से प्राप्त आगमों की जांच से पता चला कि समूह ने संपत्ति रखने वाली सैकड़ों कंपनियों में चपरासी, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, सुरक्षा गार्ड को निदेशक बनाया है, जिनका लाभकारी स्वामित्व मेसर्स एमटेक ऑटो समूह के प्रमोटरों के रूप में सामने आया है। इसके अलावा, अपराध के आगमों को छुपाने और उसे बेदाग दिखाने के लिए संपत्तियों को नाममात्र मूल्यों पर उनकी अपनी सहयोगी कंपनियों को बेच दिया गया और विदेशी होल्डिंग कंपनियों में कई संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया, जिससे बैंकों के संघ को गलत तरीके से नुकसान हुआ। तलाशी के परिणामस्वरूप सैकड़ों संपत्ति दस्तावेज, छिपे हुए निजी लॉकरों में रखे 2.53 करोड़ रुपये की नकदी, 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण और ऋण निधि की हेराफेरी से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी जब्त/बरामद हुए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।